न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रानी जिला पाली

पीठासीन अधिकारी :–श्री रवि कांत सिंह (आर.ए.एस)
राजस्व विविध :– 01/2020
तारीख दायरा :– 13.03.2020
तारीख निर्णय:– 08-3-2022

प्रार्थीया :–

1. श्रीमती कंचन देवडा पत्नि स्व. भगवतसिंह, जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी, जिला–पाली, राजस्थान, हाल निवासी जे.जे कॉलोनी पुलिस थाना के पीछे पिण्डवाडा, तहसील सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार रानी, भुमिधारी जरिये राज्य सरकार
2. उषा कंवर पत्नि चंदनसिंह, जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
3. ओमकार सिंह पुत्र रूपसिंह, जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
4. बजरंग सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी रानी, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
5. मनोहरकंवर पुत्री रूपसिंह, जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
6. रक्षाकुंवर पुत्री चंदनसिंह जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
7. राजपालसिंह पुत्र भगवतसिंहजी जाति राजपुत निवासी जवाली तहसील रानी जिला पाली राजस्थान
8. लाडकवंर पत्नि रूपसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी जवाली, तहसील रानी जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राज.अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गौतम, प्रार्थीया की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित ।
3. अप्रार्थी संख्या 02–08 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक 08-03-2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम जवाली तहसील रानी के खसरा नम्बर 10, 11, 12, 7, 9 कुल खसरा 05 कुल रकबा 8.8200 हेक्टेयर विद्यमान है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवम् ,ख.न 1, 17, 18, 19, 8 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.1900 हेक्टेयर में प्रार्थीया का 1/14 वां हिस्सा विद्यमान है। राजस्व कर्मियो द्वारा प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय कंचन कुवंर /कन्चन

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

क्रमशः पेज 02 पर

कंवर नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम कंचन देवड़ा हैं और इसी नाम से उसके सरकारी दस्तावेज बने हुए है। लिपिकीय त्रुटीवश कंचन कुवंर नाम लिखा गया है जो कि गलत है, प्रार्थीया के दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, उदयपुर विश्वविद्यालय की अकंतालिका, सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका 1992, सैकेण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र 1992 इन सभी में प्रार्थीया का नाम कंचन देवडा दर्ज है अतः सभी सरकारी दस्तावेजो में कंचन देवडा नाम होने के बावजूद भी उपरोक्त खसरान की जमाबन्दी में कंचन कुवंर नाम लिपिकीय त्रुटि वश लिखा गया है। जिसे सुधारना न्यायसगंत है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। अतः त्रुटि दुरस्त का आदेश फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 08 बावजूद समन तामिल के उपस्थित नही हुए, इनकी और से किसी वकील द्वारा भी वकालतनामा पेश नही किया गया जिस कारण दिनांक 21–01–2021 को अप्रार्थी संख्या 02 से 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार भूमिधारी जरिये सरकार द्वारा दिनांक 5.04.2021 को अपना जवाब पेश किया, जिसमें यह स्वीकार किया कि कंचन कुंवर पत्नि भगवतसिंह ग्राम जवाली के ख.न 10, 11, 12, 7, 9 कुल रकबा 8.82 हे. में 1/2 हिस्सा सहखातेदार दर्ज है एवं ख.न 1, 17, 18, 19, 08 कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 11.19 हेक्टेयर में 1/14 हिस्सा सहखातेदार दर्ज है अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि कंचन कुवंर एंव कंचन देवडा एक ही महिला है एवं यदि राजस्व रेकर्ड में कंचन कुवंर का नाम कंचन देवडा किया जाता है तो इसमें कोई राज्य हित प्रभावित नही होता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
पत्रावली में उपलब्ध दसतवेजो का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम कंचन देवडा है। लिपिकीय त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में कंचन देवडा के स्थान पर कंचन कुवंर/ कन्चन कंवर नाम लिखा गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी मे भी गलत दर्ज है।

धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार एसी लिपिकीय त्रुटी का शुद्विकरण राजस्व अभिलेख में किया जा सकता है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयो के प्रा–पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शुद्विकरण के जरिये कंचन कुंवर/कन्चन कंवर के स्थान पर कंचन देवडा किया जाना विधिसंगत एंव उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है प्रार्थीया के प्रा.पत्र में वर्णित आराजी ग्राम जवाली के ख.न 10, 11, 12, 7, 9, कुल रकबा 8.8200 हे. में प्रार्थीया के 1/2 हिस्से में तथा 1, 17, 18, 19, 8, कुल रकबा 11.1900 हे. में प्रार्थीया के 1/14 हिस्से कि कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम 'कंचन कुवंर / कन्चन कंवर'

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

क्रमशः पेज 03 पर

के स्थान पर 'कंचन देवडा' शुद्धिकरण के जरिये दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रानी निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमलदरामद करे। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी

निर्णय आज दिनांक 08-03-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी